

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री चुन्नीलाल

विपक्षी :- श्री बंशीलाल वगैरह

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 113/22

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/423

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 13.10.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 मय स्वयं विपक्षी सं. 1 से 4 अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 मय स्वयं विपक्षी संख्या 1 से 4 को बार-बार आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस टी.आई. सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस टी.आई. सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के नाम 1/42 वां हिस्सा व शेष भूमि अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। वादग्रस्त आराजीयात के विपक्षीगण पड़ौसी खातेदार होने से विपक्षीगण द्वारा अनाधिकार रूप से जबरन ताकत के बल पर मेरी खातेदारी की आराजीयात में निर्माण करने पर उतारू है जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं होने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम 1/42वां हिस्सा दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षीगण खातेदार नहीं होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद</p>	



नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण मौके पर निर्माण कार्य कर लेते हैं तो मौके पर विवाद बढ़ने की सम्भावना प्रतीत होती है जिससे पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढ़ेगी एवं इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 30.09.2022 से विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता है।

**—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली तहसील मावली हाल घासा की जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 की खाता संख्या 263 पर दर्ज आराजी नम्बर 3327, 3328 कित्ता 2 कुल रकबा 0.1618 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के नाम दर्ज 1/42 वें हिस्से भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 से 4 मौके की यथास्थिति बनाये रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली